उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

शेख हसन
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 20/2017–18

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Misellaneous Appeal)

08.07.2019

आवेदक श्री शेख हसन, जन वितरण प्रणाली दूकानदार, पंचायत – मालम, प्रखण्ड – चैनपुर, जिला – गुमला के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, राँची के W.P.(C) No.. – 41/2017 में दिनांक – 03/04.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में Written Representation समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर के नोटिस ज्ञापांक – 2950, दिनांक – 20.12.2016 को Drop करने का अनुरोध किया गया है। अंकनीय है कि मा0 न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्टतः निदेशित किए हैं कि – "Deputy Commissioner, Gumla considers his representation in the impunged notice dated 20th December, 2016 in accordance with law and take a deceision in that regard within a period of four week fom date of receipt of a copy of this order."

आवेदक के आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक, गुमला से उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वैधानिक तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर के पत्रांक – 645, दिनांक – 05.09.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है।

आवेदक का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के द्वारा दिनांक – 13.08.2001 को उनके भाई शेख ईदवा को जन वितरण प्रणाली दूकान संचालन हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया। तदोपरांत, शेख ईदवा द्वारा आवेदक के साथ उक्त दूकान की भागीदारी में संचालन हेतु आवेदन समर्पित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्त्ति निरीक्षक, चैनपुर ने पत्रांक – 24, दिनांक – 29.03.2010 द्वारा अनुज्ञप्ति में भागीदारी के अंतरण का अनुशंसा किए। प्रखण्ड आपूर्त्ति निरीक्षक, चैनपुर के उक्त अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला ने अपने ज्ञापांक – 92, दिनांक – 07.04.2010 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0 – 05/2001 में मूल अनुज्ञप्तिधारी शेख ईदवा के साथ आवेदक के नाम को भागीदार के रूप में Include किए, जिसके उपरांत दोनों भागीदार द्वारा दूकान का संचालन नियमित रूप से बिना किसी आपत्ति के प्रारम्भ किया गया। इसी बीच शेख ईदवा की नियुक्ति डाक विभाग में होने के कारण उन्होंने अनुज्ञप्ति सं0 – 05/2001 में अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया। उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर ने आदेश ज्ञापांक – 140, दिनांक – 06.08.2014 द्वारा शेख ईदवा का नाम उक्त अनुज्ञप्ति से विलोपित कर दिए।

Scanned with CamScanner

आवेदक का कहना है कि दिनांक – 28.07.2016 को मुख्यमंत्री जन संवाद में शिकायत दर्ज कराया गया, जिसमें शेख ईदवा को अनुज्ञापन प्राधिकारी से सांठ–गांठ कर अनुज्ञप्ति को आवेदक के नाम से अंतरण कराने का आरोप लगाया गया। विभाग द्वारा उक्त शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर ने अपने ज्ञापांक – 2350, दिनांक – 20.12.2016 द्वारा आवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया गया कि क्यों नहीं The Bihar Trade Article (License notification) Order, 1984 की धारा – 11 एवं The Public Distribution System (Control) Order, 2001 की कण्डिका – 07 के प्रावधानों का उल्लघंन के फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली दूकान के अनुज्ञप्ति सं0 – 05/2001 को रद्द कर दिया जाय। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(C) Mo0-. 41/2007 दाखिल किया गया, जिसके आलोक में मा0 न्यायालय ने आवेदक को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में Representation समर्पित करने का निदेश दिया गया।

आवेदक की ओर से कतिपय Rullings प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि The Bihar/Jharkhand Trade Article (License notification) Order, 1984 की धारा – 09 में अनुज्ञप्ति में Addition/Alteration का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत अनुज्ञप्ति प्रविष्टि में गोदाम, व्यापारिक स्थान, भागीदारों के नाम आदि में आवश्यक Addition//Deletion/Alteration कर सकते हैं। अतः अनुज्ञप्ति सं0 – 05/2001 में मूल अनुज्ञप्तिधारी के साथ आवेदक का नाम जोड़ने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश पूर्णतः विधिसम्मत् है।

आवेदक की ओर से तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि BTA Order, 1984 अनुसार सक्षम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को उनके उत्तराधिकारी प्राधिकारी पुर्नविचार अथवा Recall नहीं कर सकते हैं। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर के द्वारा दिनांक – 20.12.2016 को निर्गत आदेश विधिसम्मत् नहीं है। उक्त निर्गत नोटिस में BTA Order, 1984 की Clause - 11 का गलत तरीके से विवेचना किया गया है। Clause - 11 अनुज्ञप्ति के निलंबन व रद्दीकरण का विवेचना करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञप्ति संबंधी शर्त्त एवं बंधेजों का उल्लघंन होने पर अनुज्ञप्ति का निलंबन एवं रद्दीकरण किया जा सकता है। चूँकि, प्रश्नगत मामला में उनके द्वारा अनुज्ञप्ति संबंधी किसी शर्त्त व बंधेजों का उल्लघंन नहीं किया गया, अतः Clause - 11 उनपर प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार, The Public Distribution System (Control) Order, 2001 की कण्डिका – 07 भी प्रश्नगत वाद के तथ्य अनुसार Applicable नहीं है।

सहायक लोक अभियोजक, गुमला के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक Rulings पर सहमति व्यक्त किया गया। परन्तु, इस तथ्य को भी इंगित किया गया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत् उचित मूल्य के दूकान की अनुज्ञप्ति का अंतरण किसी अन्य को नहीं किया जा

Scanned with CamScanner

सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर ने अपने प्रतिवेदन (पत्रांक – 645, दिनांक – 05.09.2017) में उल्लेख किए हैं कि The Bihar/Jharkhand Control Order के नियम – 09 में स्पष्ट किया गया है कि जन वितरण प्रणाली का दूकान की अनूज्ञप्ति को लाईसेन्स परिवार के किसी भी सदस्य अथवा, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जा सकता है और न ही किसी लाईसेंस में भागीदारी बनाया जा सकता है। The Bihar/Jharkhand Control Order के नियम – 02 में Selection Committee के माध्यम से ही अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा सकता है।

तद्आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर का प्रतिवेदन है कि शेख ईदवा, पिता – स्व0 शेख मकबूल, ग्राम – जमगई, थाना – चैनपुर को निर्गत अनुज्ञप्ति सं0 – 05/2001 का उनके भाई शेख हसन के नाम से अंतरण अवैधानिक है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत Repesentation में समाहित तथ्य व उसके परिप्रेक्ष्य में वर्णित Rullings व संबंधित कागजात तथा सहायक लोक अभियोजक, गुमला एवं अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर के प्रतिवेदन के सम्यक् अवलोकन व समीक्षा से स्पष्ट होता है सर्वप्रथम आवेदक के भाई शेख ईदवा को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया था, जिसमें कालांतर में आवेदक के नाम को भागीदार (Partner) के रूप में सम्मलित (Add) किया गया, जो The Bihar/Jharkhand Trade Article (License notification) Order, 1984 की धारा – 09 में वर्णित प्रावधानानुकूल है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं अपितु, अनुज्ञप्ति में नाम को सम्मलित/प्रविष्टि (Addition/Entry) किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के ऊपर लाभुकों को राशन वितरण करने में किसी प्रकार प्रकार की अनियमितता बरतने का कोई आरोप नहीं है।

अंकनीय है कि अनुमंडल पदाधिकारी, चैनपुर द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण पर आवेदक को अपना पक्ष उनके समक्ष रखना चाहिए था, जो आवेदक द्वारा नहीं किया गया। सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद पारित आदेश के आधार पर तद्नुसार आवेदक को विचार करना था। स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना किया गया है। चूँकि, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना सं0 – 300, दिनांक – 19.01.2017 द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को वर्त्तमान में अनुज्ञापन पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है, अतः जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला आवेदक के विषयांकित मामला में एक पक्ष के अंदर वैधानिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

08/7/19
उपायुक्त,
गुमला

08/7/19
उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner